57

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 – 322–तीन / 15 जिला – सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-3-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से यह आपत्ति है कि व्यवहार न्यायालय में वाद चल रहा है तथा उन्होंने क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति की है, उसका निराकरण नहीं किया गया है और प्रकरण साक्ष्य के लिए नियत किया गया है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–10–14 को प्रस्तुत आपत्ति की प्रमाणित प्रति पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की आलोच्य आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया है एवं प्रकरण साक्ष्य के लिए नियत किया गया है । अतः न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे सर्वप्रथम आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय दें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । सदस्य	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

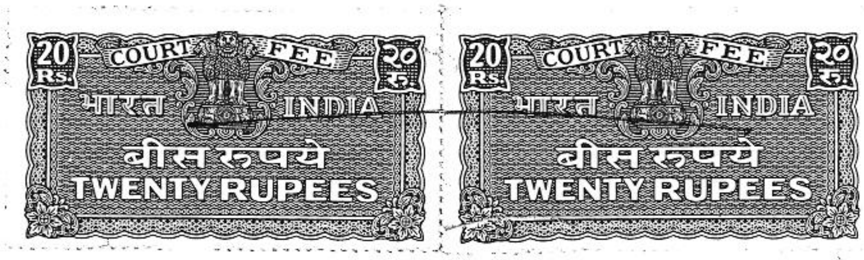

नि0/322-III-15

दिनांक 9-2-15 को श्री प्रकाश के० बनर्जी अभि० द्वारा प्रस्तुत
9.2.15
SO

1. रविकरन सिंह तनय वंशपति सिंह उम्र–75 वर्ष
2. मुस. अरूण कुमारी विधवा पत्नी मनमूरत सिंह उम्र–50 वर्ष
3. रामसुजान सिंह तनय मनमूरत सिंह उम्र–25 वर्ष
4. विभा कुमारी पुत्री मनमूरत सिंह उम्र–23 वर्ष
5. कृष्णपाल सिंह तनय मनमूरत सिंह उम्र–20 वर्ष
6. मोतीलाल सिंह तनय वंशपति सिंह उम्र–65 वर्ष

सभी निवासी ग्राम–शिवपुरवा तहसील गोपद बनास जिला–सीधी (म.प्र.)

............................आवेदकगण

बनाम

शीला देवी उर्फ सुखराज कुमारी पुत्री जंगजीत सिंह पत्नी राजबहादुर सिंह उम्र–30 वर्ष निवासी ग्राम–कुलबहेरिया तहसील मऊगंज जिला–रीवा (म.प्र.)

9/2/2015

............................अनावेदिका

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार
महोदय तहसील गोपद बनास जिला–सीधी
राजस्व प्रकरण क्र.58/अ–74/09–10
दिनांक–20.11.2014, 08.12.2014, 12.01